

dk; kly; eq[; vfhk; ark] ykxd LokLF; ; kf=dh foHkx]
tcyig ifj{ks=} tcyig

क्षेत्रीय बस स्टेण्ड के पीछे, पानी की टंकी के पास, दमोहनाका, जबलपुर, 482002

nij Hkk"k Øekad 0761&2344457

E-Mail- cephedjab@nic.in

क्रमांक. 01 /स्था0/मु.अ./जबलपुर/2018

दिनांक 06-07-2018

l fonk fu; fDr grq foKflr

म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय के ज्ञाप क्रमांक एफ-1-11/2010/1/34 भोपाल दिनांक 29.10.2010 में दिये निर्देशानुसार जबलपुर परिक्षेत्र के अंतर्गत जिला स्तर/उपखण्ड स्तर पर नवीन स्थापित होने वाली पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं में मानदेय के आधार पर रसायनयज्ञों एवं प्रयोगशाला सहायकों की संविदा नियुक्ति हेतु कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जबलपुर परिक्षेत्र, जबलपुर के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। जिलेवार/पदवार आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक 10-08-2018 को 10:00 बजे तक अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए, तत्पश्चात् आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे, स्पीड पोस्ट/डाक द्वारा निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

v& l fonk jl ku; K& dty 10 in

क0	जिला (खण्ड)	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व
1	जबलपुर	0	0	1	0
2	मण्डला	1	0	0	0
3	छिंदवाडा	0	0	1	0
4	बालाघाट	1	0	0	0
5	रीवा	0	0	0	1
6	रीवा (मउगंज)	0	1	0	0
7	शहडोल	1	0	0	0
8	डिण्डोरी	1	0	2	0
dty ; kx		4	1	4	1

l fonk iz; kx' kkyk l gk; d& dty 6 in

क0	जिला/खण्ड	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व
1	जबलपुर	1	0	0	0
2	छिंदवाडा	2	0	0	0
3	सिवनी	0	0	1	0
4	बालाघाट	1	0	0	0
5	सिंगरौली	1	0	0	0
dty ; kx		5	0	1	0

ukv %&

- (1) संविदा में नियुक्ति होने पर संबंधित जिला/खण्ड के कार्यपालन यंत्री से एक वर्ष के लिये अनुबंध किया जाना होगा। कार्यपालन यंत्री द्वारा जिले के अंतर्गत विकासखण्ड स्तर पर स्थित उपखण्डस्तरीय प्रयोगशालाओं में पदस्थापना की जावेगी।
- (2) उपरोक्त पदों पर मानदेय के आधार पर संविदा अनुबंध आधारित नियुक्ति की जायेगी, कार्यप्रणाली संतोषप्रद होने पर वार्षिक आधार पर अनुबंध आवश्यकतानुसार नवीनीकृत किये जा सकेंगे।
- (3) रसायनज्ञ पद के लिए प्रतिमाह रूपये 15000/- (रूपये पन्द्रह हजार) मात्र एवं प्रयोगशाला सहायक पद के लिए प्रतिमाह रूपये 8000/- (रूपये आठ हजार) मात्र मानदेय का भुगतान शासन द्वारा निश्चित किया गया है।


- (4) न्यूनतम आयु सीमा-दिनांक 31.12.2017 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित वर्ग के लिए 40 वर्ष, आरक्षित वर्ग के लिए 45 वर्ष । अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए 45 वर्ष, आरक्षित वर्ग के लिए 45 वर्ष। विधवा, तालाकशुदा महिला अनारक्षित वर्ग के लिए 45 वर्ष एवं आरक्षित वर्ग के लिए 45 वर्ष होगी।
- (5) रसायनयज्ञ पद के लिए बी.एससी. (रसायन शास्त्र) के साथ उत्तीर्ण । प्रयोगशाला सहायक के लिए हायर सेकेण्डरी (10+2) रसायन शास्त्र विषय के साथ उत्तीर्ण।
- (6) मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जबलपुर परिक्षेत्र, जबलपुर की अध्यक्षता में गठित की जाने वाली समिति के माध्यम से साक्षात्कार किया जायेगा। शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों के मेरिट एवं साक्षात्कार में प्राप्त होने वाले अंको के आधार पर चयन प्रक्रिया होगी। साक्षात्कार के लिए मेरिट अनुसार एक पद के विरुद्ध पाँच उम्मीदवारों को बुलाया जावेगा ।
- (7) आवेदक को म.प्र. का मूल निवासी होना अनिवार्य है, मूल निवासी के संबंध में सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र के साथ साक्षात्कार में प्राप्त होने वाले अंको के आधार पर चयन प्रक्रिया होगी। साक्षात्कार के लिए मेरिट अनुसार एक पद के विरुद्ध पाँच उम्मीदवारों को बुलाया जावेगा ।
- (8) आवेदक को म.प्र. का मूल निवासी होना अनिवार्य है, मूल निवासी के संबंध में सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र के साथ साक्षात्कार में प्राप्त होने वाले अंको के आधार पर चयन प्रक्रिया होगी। साक्षात्कार के लिए मेरिट अनुसार एक पद के विरुद्ध पाँच उम्मीदवारों को बुलाया जावेगा ।
- (9) आवेदक/आवेदिका का म.प्र. के किसी भी जिले का रोजगार कार्यालय में विज्ञापन जारी होने की दिनांक के पूर्व का निवासी होना अनिवार्य है जिसकी छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना है।
- (10) आवेदक/आवेदिका के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चला अथवा विचाराधीन रहा है अथवा पुलिस में कोई प्रकरण पंजीबद्ध हुआ हो यदि हाँ तो उसका पूर्ण विवरण एवं न्यायालय में हुए निर्णय की जानकारी सहित शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (11) आवेदन पत्र का प्रारूप दिया जा रहा है जिसे निर्धारित प्रारूप में भरकर सीलबंद लिफाफे में व्यक्तिगत/स्पीड पोस्ट/डाक से निर्धारित तिथि को प्रस्तुत करना अनिवार्य है, असत्यापित एवं अपूर्ण आवेदनों अमान्य किया जावेगा।
- (12) साक्षात्कार हेतु कार्यालय द्वारा जारी किये गये बुलावा पत्र में दर्शायी गयी नियत तिथि एवं समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है। सभी आवश्यक शैक्षणिक, जाति, मूल निवासी, रोजगार पंजीयन, विकलांगता एवं अनुभव इत्यादि के प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (13) आवेदक को म.प्र. का मूल निवासी होना अनिवार्य है, मूल निवासी के संबंध में सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र के साथ साक्षात्कार में प्राप्त होने वाले अंको के आधार पर चयन प्रक्रिया होगी। साक्षात्कार के लिए मेरिट अनुसार एक पद के विरुद्ध पाँच उम्मीदवारों को बुलाया जावेगा ।
- (14) विज्ञापन में दर्शायी गयी पद रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धि करने का अधिकार नियुक्तकर्ता अधिकारी को होगा।
- (15) अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक शैक्षणिक, जाति, मूल निवासी, रोजगार पंजीयन, विकलांगता इत्यादि के प्रमाणपत्रों की स्वयं के द्वारा सत्यापित छायाप्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (16) विज्ञापन में दर्शित पदों हेतु विज्ञप्ति की विस्तृत शर्तें एवं आवेदन हेतु अभ्यर्थी निर्धारित प्रपत्र विभागीय वेबसाइट www.mpphed.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

ए.पी.एस. (वि.सं. 1000)
 यूपी.एस. (वि.सं. 1000)
 टी.सी.एस. (वि.सं. 1000)

vkonu i = dk i k: i

प्रति,

मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जबलपुर परिक्षेत्र, जबलपुर।



fo" k; %& ----- i n ij l fonk fu; fDr grq vkonu
i =A
ftyk -----

1. (अ) आवेदक/आवेदिका का पूरा नाम (हिन्दी में) :-
- (ब) अंग्रेजी में (कैपिटल अक्षरों में) :-
2. पिता/पति का नाम :-
3. आवेदक/आवेदिका का दूरभाष क्रमांक (एस.टी.डी. कोड सहित)/मोबाईल क्रमांक
-
4. लिंग-(महिला/पुरुष) :-
5. पत्र व्यवहार का पता (पिन कोड सहित) :-
-
6. पत्र व्यवहार का स्थायी पता (पिन कोड सहित) :-
-
7. जन्मतिथि (10+2 परीक्षा के प्रमाण पत्र पर आधारित) :-
8. दिनांक 31.12.2017 को आयु वर्ष माह दिन
9. जाति :- (सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति)
10. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक दिनांक एवं
रोजगार कार्यालय का नाम (सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति)
11. शैक्षणिक योग्यता :-.....
..... (प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रति)
12. संलग्न प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियों की सूची -

¼1½ ¼2½ ¼3½
¼4½ ¼5½ ¼6½

?kk's'k. kk i =

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई जानकारी सत्य हैं, अगर असत्य पाई जाती हैं तो मेरे खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। मैं यह भी घोषित करता/करती हूँ कि मेरे अन्तिम जीवित बच्चों का जन्म (यदि दो से अधिक जीवित बच्चे हों तो) 26.01.2001 के पश्चात् नहीं हुआ है।

दिनांक स्थान

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर